

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

1 मानसिंह पुत्र हुकुम उम्र 69 साल जाति जाट निवासी ग्राम डफलपुर तहसील व जिला करौली राज. (फौत-नाम हजफ)

1/1 रामनिवास }
1/2 भीम } पिसरान मानसिंह

1/3 अर्जुन }
1/4 रामा } पुत्रियां मानसिंह

1/5 शारदा }
1/6 रामनिरी }

1/7 प्रेमवती पत्नि मानसिंह

सभी जातियान जाट निवासीयान ग्राम डफलपुर तहसील व जिला करौली राज.

- अपीलाण्ट्स

बनाम

तहसीलदार मण्डरायल (लैण्ड होल्डर) जिला करौली

- प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्ध आदेश दिनांक 25.10.2017

तहसीलदार करौली मुकदमा नं. 39/17

निर्णय

दिनांक-01.10.2019

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि संवत् 2074 में ग्राम डफलपुर के आराजी खसरा नंबर 178 किस्म गै.मु. रास्ता रकबा 01 विस्वा पर अपीलाण्ट्स द्वारा झोंपड़ी मय दीवार बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा पेश किये जाने पर तहसीलदार करौली द्वारा अपीलाण्ट्स को लगान की 50 गुणा पेनल्टी व बेदखली का आदेश पारित किया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

अपीलाण्ट नं. 1 मानसिंह पुत्र हुकुम सिंह के फौत होने पर उसका नाम हजफ किया जाकर अपीलाण्ट के वारिसान अपीलाण्ट्स नं. 1/1 ता 1/7 को रिकॉर्ड पर लिया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट्स ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलाण्ट्स को उक्त प्रकरण में दिनांक 04.10.2017 के लिये उपस्थित होने हेतु ख.नं. 178 रकबा 01 विस्वा पर अनाधिकृत तौर पर कब्जा करने के बावत् नोटिस जारी किया है। इसी नोटिस पर दिनांक 13.10.2017 वगैर इनीशियल हस्ताक्षर कर ओवर राईटिंग कर दर्ज किया है और 13.10.2017 को अपीलाण्ट्स अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ और विवादित का मौका देखे जाने हेतु निवेदन किया परंतु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय से पूर्व ना तो विवादित स्थल का कोई मौका प्रार्थी की मौजूदगी में देखा, ना ही प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया जबकि मौके पर ख.नं. 178 में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत प्रार्थी ने सिगल फेंस की मोटर लगाई है जो करीब 20 साल पुरानी लगी हुई है जिससे डफलपुर ग्राम की आम जनता को पानी उपलब्ध करवाया गया है। उक्त ख.नं. की 1 विस्वा जमीन को प्रार्थी अपनी निजी उपयोग में नहीं ले रहा है और


ना ही एक विस्वा जमीन के बाबत आम ग्राम वासी डफलपुर को कोई ऐतराज है और ना ही आमदरफत में रुकावट है। इन तथ्यों पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया और अपीलान्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर दिये वगैर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है जो निरस्त होने योग्य है। निर्णय में अतिक्रमण स्वीकार करने बाबत अपीलान्ट्स की स्वीकृति गलत दर्ज की है। ग्राम डफलपुर का कुंदन पुत्र चिरंजी जाट हमेशा का झगडालू व लड़ाकू एवं झूठी आधारों पर शिकायत करने वाला और स्वयं अतिक्रमी होते हुए आम ग्राम वासी डफलपुर की सुविधा को समाप्त करने के लिए झूठी शिकायत हल्का पटवारी से मिलकर कराई गई है। अंत में अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.10.2017 को निरस्त फरमाये जाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी का बहस के दौरान कथन है कि ग्राम डफलपुर की आराजी खसरा नं. 178 किस्म गै.मु. रास्ता रकबा 01 विस्वा पर झोंपड़ी व दीवार बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश की थी जिसकी पुष्टि संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट्स को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया था एवं अपीलान्ट्स द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अतिक्रमण स्वीकार किया था जो कि आदेशिका पर अपीलान्ट्स के हस्ताक्षर से स्पष्ट है। अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण स्वीकार किये जाने पर ही बेदखली का आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत है। अंत में अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। ग्राम डफलपुर की आराजी ख.नं. 178 किस्म गै.मु. रास्ता रकबा 01 विस्वा पर झोंपड़ी व दीवार बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा करने एवं अतिक्रमण की पुष्टि संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2017 को जारी किये गये नोटिस में दिनांक 04.10.2017 तारीख पेशी नियत की गई थी जिसे काटकर 13.10.2017 अंकित किया गया है एवं कटिंग पर इनीशियल हस्ताक्षर नहीं हैं। दिनांक 13.10.2017 को अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया था कि उसे पूर्व में ना तो कभी अतिक्रमण की जानकारी रही है और ना ही किसी कर्मचारी द्वारा अतिक्रमण करने बाबत बताया गया है और मौका देखकर स्थिति से यह अवगत कराने हेतु निवेदन किया था ताकि अपीलार्थी योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही अपना अतिक्रमण हटा ले। इस प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा खसरा नं. 178 में मुख्यमंत्री जल स्वाबलंबन योजना के तहत करीब 20 साल पहले सिंगल फेस मोटर लगाना अंकित किया है जबकि 20 वर्ष पूर्व तो उक्त योजना शुरू ही नहीं हुई थी। अतः अपीलार्थी का यह कथन असत्य है एवं पटवारी रिपोर्ट में भी सिंगल फेज मोटर का उल्लेख नहीं है। लेकिन अपीलार्थी को स्वयं अपना अतिक्रमण हटाने हेतु एक अवसर दिया जाना उचित है एवं हम अपील अपीलान्ट्स को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट्स आंशिक स्वीकार की जाती है एवं तहसीलदार करौली का आलोच्य निर्णय दिनांक 25.10.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार करौली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः जांच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। अपीलार्थी दिनांक 15.10.2019 को न्यायालय तहसीलदार करौली में उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।



(डॉ. मोहन लाल यादव)

जिला कलक्टर
करौली